तथा प्रबन्ध की पद्धति लागू हो जाने पर भारतीय इस्पात उद्योग में महत्वपूर्ण लाभ होने की सम्भावना है।]

विवरण

वर्ष 1985-86 (योजनागत) में सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में विक्रय इस्पात का उत्पादन

(लाख टन)

कारखाना	योजना
भिलाई इस्पात कारखाना, भिलाई	20.4
दुर्गापुर इस्पात कारखाना, दुर्गापुर	7.2
राउरकेला इस्पात कारखाना, राउरकेला . .	10.0
बोकारो इस्पात कारखाना, बोकारो	17.2
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लि0, बर्नपुर . .	4.8
टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि0, जमशेदपुर . .	17.4
कुल : . . .	77.0

रूस के साथ व्यापार

2380. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष रूस से आयात की गई तथा रूस को निर्यात की गई चीजों का ब्यौरा क्या है, इनकी कितनी-कितनी कीमत थी, सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र ने कितना-कितना व्यापार किया ;

(ख) क्या रूस के साथ व्यापार रुपयों में भुगतान के आधार पर किया जाता है;

(ग) गत वर्ष रूस को कितनी-कितनी मात्रा में बासमती और उसना चावल निर्यात किया गया और इनकी कीमत कितनी-कितनी थी; और

(घ) रूस के साथ व्यापार में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1984-85 के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर), भारत और सोवियत रूस के बीच 2361.47 करोड़ रुपये (अनन्तिम) का व्यापार हुआ। सोवियत संघ से आयात की गयी मुख्य वस्तुओं में कच्चा तेल तथा पैट्रोलियम उत्पाद, मशीनरी, उपस्कर तथा अतिरिक्त पुर्जे, अलौह-धातुएं, उर्वरक, रसायन तथा भेषज, अखबारी कागज आदि शामिल है। सोवियत रूस को निर्यात की गयी मुख्य मदों में कृषि उत्पाद, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, वस्त्र, खनिज तथा अयस्क, इन्जीनियरी माल और औषधियां तथा भेषजीय उत्पाद शामिल हैं।

निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच हुए व्यापार के आंकड़े अलग से नहीं रखे जा रहे है।

(ख) जी हां।

(ग) 1984-85 के दौरान, सोवियत रूस को 67.27 करोड़ रुपये मूल्य के 1,01,505 मैंटन बासमती चावल का निर्यात किया गया। 1984-85 के दौरान गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं थी।

(घ) सोवियत संघ के साथ व्यापार को सुधारने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा लगातार विभिन्न कदम उठाए जा रहे है।

इनमें शामिल है: व्यापार मेलों में भाग लेना, प्रदर्शनियां तथा क्रेता-विक्रेता बैठकें, वाणिज्यिक व्यवसाय प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान। सोवियत संघ के साथ विचार-विमर्श करने के बाद, वार्षिक व्यापार संलेख तथा पंचवर्षीय व्यापार योजना भी तैयार की जाती है और भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के मंच द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है।

"राष्ट्रीय कपड़ा निगम को करोड़ों का चूना" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार

2381. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या पूर्ति और वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1985 के "जनसत्ता" में "राष्ट्रीय कपड़ा निगम को करोड़ों का चूना" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पूर्ति और वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां,

(ख) कथित समाचार में लगाए गए आरोपों के संबंध में रिपोर्ट भेजने के लिए एन० टी० सी० (होल्डिंग कम्पनी) से कहा गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे छलपूर्ण सौदे नहीं किये गए।

Properties acquired by the income tax department in Delhi

2382. SHRI KAILASH PATI MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of properties in the Union Territory of Delhi which have been acquired by the Income tax Department, Delhi under the acquisition proceedings under section 269 of the Income Tax Act, 1961, since the introduction of this provision in the Act, yearwise, till 30th June, 1985;

(b) whether it is a fact that in large number of cases preliminary notices under section 269(d) were issued and subsequently filed/dropped; if so, what are the reasons therefor;

(c) what is the total number of notices issued under section 269(d) during the year 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 and 1985 (upto 30th June, 1985) by the IAC (Acquisitions) in Delhi; and

(d) what is the total number of proceedings dropped during the above period, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Since the introduction of the provisions of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961, only one property has been acquired in 1974. However, acquisition orders have been passed u/s 269 F(6) of the Income-tax Act, in 42 cases; but these orders have not yet become final.

(b) Yes, Sir. Since the introduction of provisions of acquisition under Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961, the number of notices issued under Section 269D(1) notifying properties proposed for acquisition upto June, 1985, were 10963. Of these, proceedings in 6114 cases have been dropped.

The reasons for dropping of proceedings under Section 269F(7) are:—

(i) Proceedings are initiated in all cases where prima-facie difference between fair market value and apparent consideration exceeds 15 per cent. Cases where there is a prima-facie evidence that there is an under-statement of consideration with the obejct of evading tax are notified. Since these presumptions which are available to the Department are rebuttable, the transferee can rebut that the understatement was done for objects other than tax evasion or that there was no understatement.

(ii) Subsequent valuation of property at a lower value due to reasons such as tenancy, location and peculiar prob-